GCMS No.- 2025/185

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थीगण

मुकुंद जी पुत्र धनाजी, जाति राजगर ब्राह्मण(पुरोहित), आयु 77 वर्ष, निवासी मडीया, तह. व जिला सिरोही अन्य–01

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही।

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 129/2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.11.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवड़ा व स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट द्वारा दिनांक 29.10.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली किया गया, प्रति वकील प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थीगण व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा मडिया, पटवार हल्का मडिया, तह. व जिला सिरोही मे वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 240 में खसरा सं. 633 व 636 कुल किता 02 कुल रकबा 0.9700 हैक्ट. की सयुक्त खातेदारी की आराजी में प्रार्थीगण के नाम "मुका पुत्र धन्ना" व "हिरा पुत्र धन्ना" दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदान पहचान पत्र इत्यादि दस्तावेजों तथा मजमे आम में उपस्थित जनों अनुसार प्रार्थीगण खातेदारों "मुका पुत्र धन्ना" व "हिरा पुत्र धन्ना का सही व दस्तावेजी नाम क्रमशः "मुकुंद पुत्र धनाजी" व "हिरालाल पुत्र धनाजी" दर्ज है। मौका फर्द के अनुसार "मुका पुत्र धन्ना" व "मुकुंद पुत्र धनाजी" तथा "हिरा पुत्र धन्ना" व "हिरालाल पुत्र धनाजी" के नाम के समान मडिया गांव में अन्य कोई व्यक्ति नही रहता। अतः प्रार्थीगण खातेदारों का जमाबंदी में सही नाम "मुकुंद पुत्र धनाजी" व "हिरालाल पुत्र धनाजी" संशोधन करने की अनुशंसा की जाती है। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***राजस्व ग्राम मडिया, पटवार हल्का मडिया, तह. व जिला सिरोही मे खाता सं. 240 के खसरा सं. 633 व 636 में प्रार्थीगण खातेदारों के नाम "मुका पुत्र धन्ना" व "हिरा पुत्र धन्ना" के स्थान पर क्रमशः "मुकुंद पुत्र धनाजी" व "हिरालाल पुत्र धनाजी" संसोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही	